

संख्या-पी-04/81-2-2023-800(04)/2023

पेपक.

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 27 जनवरी 2023
विषय- जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400 के0वी0 तीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2203/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020 दिनांक 30.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त निम्न कमियां पायी गई है :-

1. प्रस्ताव में पूर्व लीज अवधि की कोई देयता अवशेष तो नहीं है ? क्या शर्तों का अनुपालन पूर्ण किया गया है ?
2. पूर्व लीज में 19.968 हे0 वनभूमि (20 वर्षों) हेतु उल्लिखित है, जबकि नवीनीकरण के समय 7.5118 हे0 वनभूमि 37 वर्षों की लीज पर मांगे जाने का औचित्य क्या है ? स्पष्ट किया जाय।
3. समतुल्य गैर वनभूमि (प्रस्तावित वनभूमि) उपलब्ध कराये जाने की बचनबद्धता स्पष्ट नहीं है ?
4. प्रस्तावित वनभूमि के गैरवातनिकी प्रयोग पर दिये जाने हेतु भी शर्तें अधिरोपित की जायेगी, उसपर अनुपालन किये जाने की बचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय।
5. प्रस्तावित स्थल इको-सेन्सिटिव जोन की सीमा में न होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (दूरी का अंकन किया जाय) उपलब्ध कराया जाय।
6. प्रस्तावित वनभूमि 20 वर्षों हेतु ही दिया जाना है, से सम्बन्धित बचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय।
7. पृष्ठ-12 पर प्रस्तावित वनभूमि 7.518 हे0 है, जबकि अन्य प्रमाण पत्रों पर 7.5118 हे0 है ? स्पष्ट किया जाय।
8. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10.01.2023 द्वारा गठित परियोजना जांच समिति की संस्तुति के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 27/01/2023 13:03:48

Reason: Approved

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 2460/11-सी-FP/UP/Trans/44753/2020, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 31, 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।